जनपद बाराबंकी

प्रेसनोट सं0-05, **दिनांक-04.02.2025**

स्वाट/सर्विलांस व थाना लोनीकटरा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्याकाण्ड का सफल अनावरण कर हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार एवं घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन बरामद-

दिनांक 09.01.2025 को थाना लोनीकटरा में वादिनी द्वारा तहरीर दिया गया कि लगभग 04 वर्ष पूर्व अनिल वर्मा पुत्र केदारनाथ वर्मा निवासी दौलतपुर थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी ने उसकी पुत्री (जिसकी उम्र उस समय लगभग 16 वर्ष थी) को बहला फुसलाकर भगाकर कटरा बक्कास, खुर्दही जनपद लखनऊ मे किराये के मकान में रहने लगा। लोकलाज के कारण उसने इसकी शिकायत कहीं नहीं की थी एवं मोबाइल से वह अपनी बेटी से बात भी करती थी। वादिनी के पति की मृत्यु होने पर अनिल उपरोक्त उसकी बेटी को घर लेकर आया था। कुछ दिन से बेटी से बात ना होने के कारण जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अनिल वर्मा ने अपने पुत्र नितिन व भाइयों बब्लू वर्मा उर्फ हृदय नरायन, गोली उर्फ संजय वर्मा के साथ मिलकर उसकी पुत्री की हत्या कर दी है। उक्त सूचना के आधार पर थाना लोनीकटरा में मु0अ0सं0 07/2025 धारा 363/366/323/504/506 भादवि व 3(1)(द)(ध)व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेन्स एवं डिजिटल डेटा की मदद से घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 04.02.2025 को अभियुक्त अनिल वर्मा पुत्र केदारनाथ वर्मा निवासी दौलतपुर थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी को कान्हीपुर अण्डर पास से गिरफ्तार किया गया एवं कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद स्कार्पियो बरामद की गई। अभियोग उपरोक्त में धारा 376/302/201 भादवि व 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ एवं जांच से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अनिल वर्मा उपरोक्त व वादिनी का गांव व खेत पास-पास हैं, जिससे वादिनी की पुत्री व अभियुक्त अनिल वर्मा का आपस में मिलना होता था एवं दोनों में प्रेम सम्बन्ध हो गये व 04 वर्ष पूर्व उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले जाकर मन्दिर में शादी कर ली तथा कटरा बक्कास, खुर्दही जनपद लखनऊ में किराये का फ्लैट लेकर रहने लगा। अभियुक्त अनिल वर्मा ने पूर्व में भी 03 शादियां की थी, जिसमें पहली पत्नी मानसिक विक्षिप्त हो गई और वह अपने मायके में रहती है तथा दूसरी पत्नी की मृत्यु व तीसरी पत्नी से सम्बन्ध विच्छेद हो गया है। अभियुक्त अनिल वर्मा को पहली पत्नी से एक पुत्र नितिन है, जिसकी जुलाई-2024 में शादी तय की थी, जिसके बाद वादिनी की पुत्री (मृतका), अनिल वर्मा पर अपने नाम खेत, प्लाट व रूपये करने का दबाव बनाने लगी थी, जिससे दोनों के बीच प्रायः विवाद होने लगा था। दिनांक 13.10.2024 को अभियुक्त अनिल वर्मा ने वादिनी की पुत्री (मृतका) को घुमाने ले जाने का बहाना बनाकर उसे अपनी स्कार्पियों से लखनऊ ले गया तथा उसकी कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दिया, मृतका के बेहोश हो जाने पर उसे थाना नगराम क्षेत्रान्तर्गत ददुरी पुलिया से इन्दिरा नहर में फेंक दिया, जिसका शव दिनांक 21.10.2024 को थाना नगराम पुलिस को अज्ञात अवस्था में मिला था।

<u>नामपता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

अनिल वर्मा पुत्र केदारनाथ वर्मा निवासी दौलतपुर थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी

<u>बरामदगी-</u>

स्कार्पियों वाहन संख्या UP 32 GW 8811 (घटना में प्रयुक्त)

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 112/2017 धारा 3(1)(10),3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व 323/336/504/506 भादवि थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी
2. मु0अ0सं0 132/2020 धारा 147/148/323/325/352/452/504/506 भादवि थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी
3. मु0अ0सं0 155/2024 धारा 504/506 भादवि थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी
4. मु0अ0सं0 167/2015 धारा ¾ डी.पी. एक्ट व 304बी/498ए भादवि थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी
5. मु0अ0सं0 211/2011 धारा 110 सीआरपीसी थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी
6. मु0अ0सं0 520/2008 धारा 7 क्रिमि0 ला अमेन्डमेन्ट व 147/308/323/427/436/506 भादवि थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी
7. मु0अ0सं0 163/2008 धारा 13 जुआ एक्ट थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी

पुलिस टीम-

सर्विलांस टीम-

1. निरीक्षक श्री बृजेश कुमार यादव प्रभारी सर्विलांस सेल
2. उ0नि0 श्री रामाधार पटेल
3. हे0का0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह, हे0का0 जितेन्द्र वर्मा
4. हे0का0 मजहर अहमद, हे0का0 जुबैर,
5. हे0का0 चन्द्रभान, हे0का0 पवन गौतम,
6. का0 शैलेन्द्र कुमार

स्वाट टीम-

1. निरीक्षक ब्रजकिशोर सिंह प्रभारी स्वाट टीम
2. उ0नि0 श्री अजय सिंह
3. उ0नि0 श्री संजीव कुमार यादव
4. उ0नि0 श्री अजीजुल हसन
5. उ0नि0 श्री मिथिलेश चौहान
6. हे0का0 बलवन्त सिंह, हे0का0 जितेन्द्र बहादुर सरोज
7. हे0का0 मुकेश यादव, हे0का0 अंगद गौड, हे0का0 सत्य प्रकाश यादव
8. का0 प्रवीण शुक्ल, का0 जरनैल सिंह, का0 अभय कुमार,
9. का0 अंकित तोमर, का0 अभिषेक राजवंशी, का0 नितिन कुमार

थाना लोनीकटरा टीम-

1. थानाध्यक्ष दौमित्र सेन
2. का0 रोहित, का0 शिवमोहन
3. का0 चालक मनोज राजपूत